

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

राजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228061-62, फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website : www.rmsc.nic.in

क्रमांक : एफ. 9()/आरएमएससी/भण्डार/रो.उ.प./2019-20/ 596

दिनांक : 15/7/19

Corrigendum

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय द्वारा जारी ई-निविदा सूचना संख्या 465 दिनांक 24.06.2019 (UBN- MSC1920GLRC00008) की शर्तों में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-

बिन्दु संख्या 1. रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु जारी उक्त ई-निविदा की शर्तों में शर्त संख्या 01 में दर्शाये गये स्पेशिफिकेशन को निम्न प्रकार पढा जावे :-

कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र मुद्रण-कार्बन लैस पेपर प्रथम प्रति सफेद CB 52 GSM न्यूनतम एवं द्वितीय प्रति पीली CF 53 GSM न्यूनतम विथ लोक, आकार - 8.00" X 5.50" अनुमानित संख्या - 08 (आठ) करोड़ (50+50 कार्बनलैस रोगी उपचार पत्रों के सैट सरस पेड पर तैयार करने होंगे Bottom 296 GSM Hard Card Sheet with one extra hard card sheet to insert inside the saras pad, Top 80 GSM Brown paper and Copy of white & Yellow Paper should be 52 GSM & 53 GSM, carbon coating will be Extra 7 GSM.)

S.No.	Name of Test	RMSC Specification
1	Size	8.00"X5.50" (20.32 Cm X 13.97 Cm)
2	Cover Page Brown GSM	80 GSM
3	Cover white Page (Hard Card Sheet)	296 GSM
4	1 st Copy white GSM	52 GSM Minimum
	Carbonage (CB)	3.50 GSM Minimum
5	2 nd copy Yellow GSM	53 GSM Minimum
	Carbonage (CF)	3.50 GSM Minimum
6	Carbon Coating Extra of 52 GSM & 53 GSM	CB+CF=7 GSM Minimum

बिन्दु संख्या 2. उक्त ई-निविदा की शर्त संख्या 18 एवं 3(XIII) "(पूर्व में न्यूनतम 50.00 लाख कार्बनलैस रोगी उपचार पत्र (01.00 लाख सरस पैड) आपूर्ति करने का अनुभव। इसके साक्ष्य हेतु क्रयादेश/कार्यादेश एवं बिलों की प्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक है।) का उल्लेख किया गया है", को निविदा शर्तों में से विलोपित किया जाता है।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-

1. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर, राजस्थान।
2. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेख है कि निगम की वेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी